

**Grant of Exemption from Payment of Excise Duty to P.V.C. Films etc., produced by Process other than Extrusion**

3551. SHRI D. N. SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Finance Ministry under their notification No. 39/73, dated the 1st March, 1973 granted exemption to rigid polyvinyl chloride films of thickness below 0.25 mm., flexible polyvinyl chloride films of thickness below 0.25 mm. and polyvinyl chloride lay flat tubings from payment of Central Excise duty, if these are produced by EXTRUSION PROCESS by small scale industry;

(b) whether certain Small Scale Industrial units which manufacture the above products by process other than extrusion are not entitled to the above exemptions; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): (a) Yes, Sir.

(b) Units which manufacture the above products by process other than extrusion are not entitled to the above exemption.

(c) At the time this exemption notification was issued, it was brought to the notice of this Ministry that the products mentioned in this notification are manufactured by the small scale industrial units through extrusion process and that they require excise duty relief. These goods are also manufactured through calender process by the larger sector. With a view to exclude such larger units from the scope of this exemption, it was confined to the products when manufactured by extrusion process

दुङ्गला (आगरा) में रेलवे के एक भूतपूर्व गार्ड के घर से नकदी और मोने के आभूषणों का पकड़ा जाना

3552. श्री हुकम चंद उद्वाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुङ्गला जिला आगरा में रेलवे के एक भूतपूर्व गार्ड के घर में मारे गए छात्रों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय समाज कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा मोने के आभूषण और नकदी पकड़ी गयी थी ;

(ख) पकड़े गए इस मामले के आभूषणों का भारतीय मुद्रा में मूल्य क्या है, और

(ग) यह धन व्यक्तित्व के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) (क) में (ग). केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने 21 जून, 1973 को आगरा जिले में दुङ्गला नामक स्थान पर रेलवे के एक गार्ड के घर की तलाशी ली। बताया गया है कि उक्त व्यक्ति पिछले दो वर्षों से छुट्टी पर है और उस का कहना है कि उसने, संवाए सभागत नहीं की गयी है। 168,664 रुपये के स्वर्ण आभूषण स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत और दो लाख रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा भी आ शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ी गई है। संबंधित व्यक्ति को 22 जून, 1973 को गिरफ्तार किया गया था और उसे मेजर जन ने सजा उपागत मजूर की है। आगे जांच जारी है।

“कार्यकारो” के रूप में वर्गीकृत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस देना

3554. श्री धनसाह प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को, जिन्हें कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बोनस देने सम्बन्धी कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) और (ख) बोनस भुगतान अधिनियम 1947 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के